रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 64] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 7, 1969/चैत्र 17, 1891

No. 64] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 7, 1969/CHAITRA 17, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 7th April 1969

G.S.R. 924.—In exercise of the powers conferred by section 11N of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby exempts photographic cameras, flash guns and colour films therefor notified under section 11B of the said Act from the provisions of sub-section (6) of section 11C of the said Act when the said photographic cameras, flash guns and colour films are taken from one place to another by a professional photographer in execution of an order placed with him by a client for taking photographs.

[No. 74-Cus./F. No. 2/13/69-Cus. VI.]

S. P. KAMPANI, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1969

सा० का० नि० 925:—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 11-ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, एतद्द्वारा फोटोग्राफिक कैमरों, उनके लिए फ्लैशगनों और रंगीन फिल्मों को, जो उक्त अधिनियम की धारा 11 ख में अधिसूचित की गई हैं, उक्त अधिनियम की धारा 11 ग की उपधारा (6) के उपबन्धों से, जब कि उक्त फोटोग्राफिक कैमरे, फ्लैशगनें और रंगीन फिल्में, फोटो लेने के लिए किसी ग्राहक द्वारा दिये गये आर्डर के निष्पादन में किसी वृत्तिक फोटोग्राफर द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं; छूट देती है।

[सं० 74, फा० सं० 2/13/69—सी शु०—6.]

श० प० कम्पानी, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS DELHI 1969